जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी–2117 दिनांकः– 02/12/2025

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः–भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 334वीं बैठक दिनांक 25.11.2025 को सांय 5:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

1. **एजेण्डा नम्बर 334.1 (25.11.2025):–**

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 333वीं बैठक दिनांक 11.11.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा नम्बर 334.2 (25.11.2025)(जोन–04):–**

भूखण्ड एवं स्वामित्व/लेखा का विवरणः–		
1.	भूखण्ड का विवरण	नीलामी में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–2, योजना एयरपोर्ट प्लाजा विस्तार, टोंक रोड, जयपुर।
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1666.97 व.मी.
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	30 मीटर
4	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति– 90ए/ 90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	प्रश्नगत भूखण्ड नीलामी में आवंटित कर दिनांक 01.12.2020 को व्यवसायिक प्रयोजनार्थ लीज होल्ड लीजडीड जारी की गई है।
5	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/ एकल पट्टों से पुर्नगठित	एकल पट्टा (व्यवसायिक प्रयोजनार्थ)
6	परियोजना–समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/फ्लैट्स/स्टूडियों अपार्टमेन्ट/व्यवसायिक /होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट /मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।	वाणिज्यिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत
7	आवेदक का नाम	श्री राजीव जैन जरिये निदेशक दिगम्बर केपफिन लि.
8	स्वामित्व रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट के अनुसार जविप्रा की योजना एयरपोर्ट प्लाजा विस्तार के भूखण्ड संख्या ए–2, क्षेत्रफल–1666.97 व.मी. का व्यवसायिक पट्टा दिगम्बर केपफिन लि. जरिये निदेशक राजीव जैन के पक्ष में क्रमांक–716 दिनांक 01.12.2020 को जारी किया गया। वर्तमान में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार आवेदक का स्वामित्व है।
9	लेखा रिपोर्ट	जोन की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में वर्ष 2025–26 तक की बकाया लीज राशि 51,57,189/– बाकी है। अभियान के तहत उक्त लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट है। अतः उक्तानुसार राशि जमा करवाए जाने हेतु आवेदक को सूचित किया जाना प्रस्तावित हैं। लेखाकार बीपीसी–बीपी की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड की बकाया लीज राशी जमा है। भूखण्ड पर निर्माण होने के कारण पुर्नग्रहण शुल्क लेय नही है। भूखण्ड की एकमुश्त लीज जमा नही है।
10	निर्माण अवधि की दिनांक	मौका रिपोर्ट अनुसार संशोधित भवन मानचित्र अनुसार भूखण्डधारी द्वारा सैटबैक छोड़कर BASEMENT-3 + BASEMENT-2 + BASEMENT-1 + STILT FLOOR + FIRST FLOOR से SEVENTH FLOOR की SLAB CASTING कर FINISHING का कार्य किया जा रहा है तथा लेखाकार बीपीसी–बीपी की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड की बकाया लीज राशी जमा है। भूखण्ड पर निर्माण होने के कारण पुर्नग्रहण शुल्क लेय नही है।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

11	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री रिकी माथुर, सी.ए./24247

भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 अनुसारः–

• नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं	नहीं
• आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं	नहीं
• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं	Airport NOC दिनांक 18.06.2025 के अनुसार 31.35 मीटर, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 17.06.2033 तक है।

12		तकनीकी विश्लेषण	जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार/भवन विनियम 2020 अनुसार	दिनांक 19.05.2022 को अनुमोदित मानचित्रानुसार	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावानुसार	नियमानुसार हैं अथवा नहीं
	1.	सैटबैक				
		सामने–I (30 Mtr.)	15.0 मी.	15.0 मी.	15.0 मी.	नियमानुसार हैं।
		पार्श्व–I	6.0 मी.	6.0 मी.	6.0 मी.	नियमानुसार हैं।
		पार्श्व–II	6.0 मी.	6.0 मी.	6.0 मी.	नियमानुसार हैं।
		पीछे	9.0 मी.	9.0 मी.	9.0 मी.	नियमानुसार हैं।
	2.	अधिकतम आच्छादन	सेटबैक क्षेत्र के अन्दर	सेटबैक क्षेत्र के अन्दर	सेटबैक क्षेत्र के अन्दर	नियमानुसार हैं।
	3.	अधिकतम ऊँचाई	60.0 मी. (भवन विनियम अनुसार) सडक की चौडाई का डेढ गुणा + अग्र सेटबैक (30X1.5+15.0) Airport NOC दिनांक 18.06.2025 के अनुसार 31.35 मीटर, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 17.06.2033 तक है।	0.62 मी. (प्लिन्थ) + 3.20 मी. (स्टिल्ट) + 22.85 मी. (07 तल) + 1.0 मी. (मशीन रूम) = 27.67 मी.	0.62 मी. (प्लिन्थ) + 3.20 मी. (स्टिल्ट) + 22.85 मी. (07 तल) + 4.25 मी. (ममटी/मशीन रूम/वाटर टैंक), कुल उंचाई 30.92 मी.	नियमानुसार हैं।
	4.	कुल तलों की संख्या	–	3 बेसमेन्ट + स्टिल्ट + प्रथम से 7 तल	3 बेसमेन्ट + स्टिल्ट + प्रथम से 7 तल	0.62 मी. (प्लिन्थ) व 4.25 मी. वाटर टैंक/ममटी रूम/रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट को छोड़कर स्टिल्ट + प्रथम से 7 तल तक कुल ऊँचाई 26.05 मीटर जो कि 60 मीटर से कम है। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
	5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	–	9790.56 व.मी.	10,255.71 व.मी.	–
	6.	बी. ए. आर.	2.00 (3,333.94 व.मी.)	3.24 (5402.87 व.मी.)	3.21 (5,361.28 व.मी.)	नियमानुसार हैं।
	7.	पार्किंग	91.18 ईसीयू 68.39 कार+68.39 स्कूटर (प्रस्तावित बीएआर + रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु)	91 ईसीयू 71 कार + 60 स्कूटर	92 ईसीयू 66 कार + 3 मैकेनिकल + 69 स्कूटर	नियमानुसार हैं।
	12.	10.3.2:–क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नविवि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक	24 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु	लागू है। (प्रस्तुत मानचित्रों में 26.67 मी. उंचाई पर स्थित टेरिस पर क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।)		नियमानुसार हैं।

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

	से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नही होगी।			
13.	10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र	अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।	लागू नहीं हैं।	—
14.	10.3.2(x)भवन में अपेक्षित सेवाओ हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना हैं।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जावेगा।
15.	10.10(viii):—60 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	लागू नहीं हैं।	लागू नहीं हैं।	नियमानुसार हैं।
16.	10.11.1:—वर्षा जल संग्रहण का चिन्हिकरण	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
17.	10.11.2:—अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	2500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।	मानचित्रों में STP प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
18.	10.11.2(4) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।		
19.	10.11.3:—पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक हैं।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जावेगा।
20.	10.11.4(ii)सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
21.	12.1.2:—आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में अंकित हैं।	नियमानुसार हैं।
22.	E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत	विकासकर्ता से शपथ पत्र/*अण्डरटेकिंग* लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
23.	12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना	आवश्यक हैं।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/*अण्डरटेकिंग* लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
24.	12.1.18:—पार्किंग सर्कुलेशन प्लान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
25.	14:—विशेष योग्यजनो हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प/शौचालय/ पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
26.	17.1:—Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण—पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना हैं।	लागू नहीं हैं।	—
27.	बीपीसी—बीपी की 243वी बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार तडित चालक का प्रावधान	18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु आवश्यक हैं।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/*अण्डरटेकिंग* लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
28.	बीपीसी—बीपी की 246वी बैठक दिनाक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार संशोधन /विस्तार हेतु ईकाईयो के आवंटियो की सहमति	कुल आवंटियों में से दो तिहाई (2/3rd) आवंटियों की सहमति	लागू हैं।	विकासकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि हैं मेरे द्वारा कोई भी यूनिट, दुकान, किसी प्रकार का हिस्सा बेचा नही है।
29	रेरा में पंजीकरण	लागू है।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
30	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरो/फ्लैट्स की संख्या	लेय हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—
31	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/— प्रति व.फी. की दर से	लेय हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

		बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं।			
	32	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति	लेय हैं अथवा नहीं।	पूर्व स्वीकृत मानचित्रों से टेरिस तल तक अतिरिक्त निर्मित सकल निर्मित क्षेत्रफल 143.28 व.मी. पर नियमानुसार शास्ति लिया जाना प्रस्तावित है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	33	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक क्रमांक प. 11(9)नविवि/ 2020 पार्ट–IIIदिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस	आवश्यक हैं।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	34	अग्निशमन शुल्क	आवश्यक हैं।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	35	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू.एस. /एल.आई.जी. हेतु	आवश्यक हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—
	36	सौर ऊर्जा का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।

13	**मौका रिपोर्टः**–भूखण्ड के भवन मानचित्र पूर्व मे जारी है प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्र अनुसार भूखण्डधारी द्वारा सैटबैक छोड़कर BASEMENT-3 + BASEMENT-2 + BASEMENT-1+ STILT FLOOR + FIRST FLOOR से SEVENTH FLOOR की SLAB CASTING कर FINISHING का कार्य किया जा रहा है। भूखण्डधारी द्वारा टेरिस फ्लोर पर किसी प्रकार का निर्माण नही किया हुआ है। Airport NOC दिनांक 18.06.2025 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर 31.35 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है।
14	**प्रकरण के तथ्यः**– 1. प्रकरण सर्वप्रथम बीपीसी–बीपी की 256वीं बैठक दिनांक 14.03.2022 में प्रस्तुत किया जाकर सशर्त अनुमोदन कर दिनांक 19.05.2022 को 27.67 मीटर (मशीन रूम सहित) (3 बेसमेन्ट+ स्टिल्ट + प्रथम से 7 तल) ऊँचाई के प्रस्तावित व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र जारी किये गये। 2. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.11(5)नविवि/भवन विनियम–2025/2025 में नवीन "मॉडल भवन विनियम–2025" लागू किये गये है एवं उक्त मॉडल भवन विनियम 2025 की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त भवन विनियमों के विनियम संख्या 3.4(7) में निम्नानुसार है:–" पूर्व मे निर्मित भवन में संशोधन/विस्तार चाहे जाने पर तत्समय प्रचलित नियमों/प्रावधानों के आधार पर ही भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जानी होगी। यदि पूर्व मे निर्मित भवन में वर्तमान भवन विनियम के अनुसार संशोधन/विस्तार प्रस्तावित हो तो समस्त प्रावधान इन विनियम के अनुसार ही रखे जाने होगें। 3. वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा को मौके पर निर्मित भवन के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु BPAS सॉफ्टवेयर पर दिनांक 01.09.2025 को आवेदन किया गया।
15	**मुख्यतः संशोधनः**– 1. पूर्व अनुमोदित बेसमेन्ट 1 में FIRE & DOMESTIC WATER TANK & PUMP ROOM हेतु स्वीकृत इकजाई स्थान में आंशिक वृद्धि करते हुये उक्त स्थान पर RAW/FIRE WATER TANK & PUMP ROOM के लिये स्थान चिन्हित किया गया है तथा पूर्व स्वीकृत सर्विस लिफ्ट के पीछे सीढ़िया प्रस्तावित की गई है। 2. पूर्व अनुमोदित बेसमेन्ट 2 में पूर्व प्रस्तावित कार पार्किंग में परिवर्तन एवं पृथक् से स्कूटर पार्किंग प्रस्तावित की गई है। 3. पूर्व अनुमोदित बेसमेन्ट 3 में पूर्व स्वीकृत पार्किंग रैम्प में आंशिक परिवर्तन करते हुये रैम्प की नीचे के भाग को बेसमेन्ट में सम्मिलित कर उक्त भाग में स्कूटर पार्किंग प्रस्तावित की गई है। पूर्व स्वीकृत बेसमेन्ट 1 से 3 के मध्य सर्विस लिफ्ट के पीछे सीढ़िया प्रस्तावित की गई है। 4. पूर्व अनुमोदित स्टिल्ट फ्लोर पर अग्र सेटबैक क्षेत्र में डीजी सेट, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, इनवर्टर बॉक्स, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये स्थान चिन्हित करते हुये पूर्व स्वीकृत हैण्डीकेप रैम्प की लोकेशन में बदलाव किया गया है तथा पूर्व स्वीकृत कार एवं स्कूटर पार्किंग की लोकेशन में आंशिक बदलाव किया गया है। 5. पूर्व अनुमोदित प्रथम तल पर पूर्व स्वीकृत फायर स्टेरकेस की लोकेशन में प्रथम तल से सातवें तल तक बदलाव किया गया है तथा पूर्व स्वीकृत टॉयलेट ब्लॉक में आंशिक बदलाव किया गया है। 6. पूर्व अनुमोदित द्वितीय तल पर पूर्व स्वीकृत टॉयलेट ब्लॉक में आंशिक बदलाव किया गया है तथा अग्र/पार्श्व सेटबैक में आर्किटेक्चर एलीमेन्ट के रुप में मेटल केनोपी प्रस्तावित की गई है। 7. पूर्व अनुमोदित तृतीय से सातवें तल पर पूर्व स्वीकृत टॉयलेट ब्लॉक में आंशिक बदलाव करते हुये उक्त स्थान

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

	पर टॉयलेट ब्लॉक, स्टोर रुम एवं पेन्ट्री प्रस्तावित की गई है तथा लिफ्ट–1 व 2 के पीछे सर्वर इलेक्ट्रिक रुम प्रस्तावित किया गया है। 8. पूर्व स्वीकृत टेरिस फ्लोर पर पृष्ठ भाग में परगोला एवं उक्त के लगते हुये कैफे हेतु ऑपन सिटिंग एरिया एवं लिफ्ट लॉबी के सामने रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु टेम्परेरी एमएस स्ट्रक्चर स्थापित किया गया है तथा पूर्व में टेरिस के पृष्ठ भाग में सौलर पैनल की लोकेशन में बदलाव करते हुये उक्त को टेरिस के अग्र भाग में प्रस्तावित किया गया है। 9. पूर्व अनुमोदन के समय विकासकर्ता द्वारा दिनांक 23.11.2021 को पत्र के साथ 27.69 मीटर ऊँचाई की एयरपोर्ट एन.ओ.सी. प्रस्तुत की गई थी जिसके क्रम में तत्समय 0.62 मी. (प्लिन्थ) + 3.20 मी. (स्टिल्ट) + 22.85 मी. (07 तल) + 1.00 मी. (मशीन रूम), कुल उंचाई 27.67 मी. के मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये गये। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा दिनांक 18.06.2025 को पत्र के साथ 31.35 मीटर ऊँचाई की एयरपोर्ट एन.ओ.सी. प्रस्तुत की गई है। उक्त नवीन एनओसी में पूर्व एनओसी से प्राप्त अतिरिक्त उंचाई 3.66 मी. में विकासकर्ता द्वारा ममटी/मशीन रुम/ओवर हैड वाटर टैंक/MS स्ट्रक्चर में परगोला तथा रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट मय टॉयलेट प्रस्तावित किया गया है।
16	**प्रस्तावः–** विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित की जानी होगीः– 1. प्रश्नगत भूखण्ड की एकमुश्त लीज राशि जमा नही है। अतः संबंधित जोन में एकमुश्त लीज राशि जमा करवाये जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र जारी किये जाने प्रस्तावित है। 2. प्रकरण में दिनांक 19.05.2022 को जारी भवन निर्माण स्वीकृति अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 09.05.2029 तक प्रभावी होगी। 3. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक राज्य सरकार के आदेश क्रमांक क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 पार्ट–III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। 4. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेगा। 5. प्रकरण में पूर्व अनुमोदन के समय कुल 9790.56 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत संशोधित भवन मानचित्र अनुसार कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 10255.71 व.मी. है। मौका रिपोर्ट अनुसार 03 बेसमेन्ट + स्टिल्ट + प्रथम से 07 तल की स्लेब कास्टिंग कर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है तथा संशोधित मानचित्रों के अनुसार टेरिस पर प्रस्तावित निर्माण मौके पर नही किया गया है। अतः बेसमेन्ट से 7वें तल तक पूर्व स्वीकृत मानचित्रों से अतिरिक्त निर्मित सकल निर्मित क्षेत्रफल 143.28 व.मी. पर नियमानुसार शास्ति लिया जाना प्रस्तावित है। 6. विकासकर्त्ता द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्रों में 03 मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई हैं। अतः भवन विनियम 2025 के अनुसार आवेदक से प्रति मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 1.00 लाख रूपये प्रति कार के हिसाब से कुल 3.00 लाख रूपये बैंक गारन्टी के रूप में ली जावेगी। 7. नगरीय विकास विभाग द्वारा रुफ टॉप रेस्टोरेन्ट हेतु अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु जारी भवन विनियम के प्रावधान संख्या–4 (सामान्य मापदण्ड) के उपबिन्दु 4.2.3 के अनुसार "सैन्य क्षेत्रों/हवाई अड्डों/ऐतिहासिक स्मारकों आदि के पास जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में रूफ–टॉप रेस्टोरेंट की अनुमति केवल संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् ही दी जा सकती है।" के क्रम में विकासकर्ता द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। 8. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम–2020 के अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जानी होगी। 9. विकासकर्ता द्वारा वाटर टैंक/ममटी की ऊँचाई छत से 4.25 मीटर प्रस्तावित की गई है। उक्त 4.25 मीटर में ही वाटर टैंक/सौलर/कूलिंग टॉवर/लिफ्ट/मशीन रूम आदि सीमित रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा शपथ पत्र लिया जाना है तथा किसी स्थिति में एयरपोर्ट एन.ओ.सी. में अनुज्ञेय ऊँचाई से कोई भी उपकरण/स्थाई/अस्थाई निर्माण आदि भविष्य में नहीं किया जावेगा, जिसकी सुनिश्चितता विकासकर्ता द्वारा

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

	की जानी होगी।
	10. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही जोन/अभियांत्रिकी शाखा द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
	11. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित हैं।
	12. भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
	13. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
	14. भवन में RPWD Act. 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
	15. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
	16. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान विकासकर्ता के व्यय पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।
	17. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखें जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।
	18. भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2(4) के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारू रूप से संचालन की सुनिश्चिता, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
	19. परियोजना में आग से बचाव हेतु भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 के अनुसार क्षरण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं, उसको अन्य उपयोग अथवा कमरों में शामिल नहीं किया गया जावेगा, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
	20. नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होगें।

निर्णयः– *समिति द्वारा प्रकरण में भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 16 में प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता करने के पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।*

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19116462

3. एजेण्डा नम्बर 334.3 (25.11.2025):–(जोन–10)

भूखण्ड़ एवं स्वामित्व/लेखा का विवरणः–		
1.	भूखण्ड का विवरण	खसरा नम्बर 10046/3121, 10047/3121, 10048/3121, 10049/3122, 10050/3122, 10051/3122, 10052/3122, 3123, 3124, 3126, 312, ग्राम आमेर, तहसील आमेर, जयपुर।
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	21,220.81 वर्गमीटर (जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार)
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	30 मीटर
4	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति–90ए/90बी के तहत आवंटित/नीलामी/रियायती पर आवंटित	जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ सुपर फूड अधिकृत पार्टनर श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री मनोज अग्रवाल को दिनांक 10.09.25 को जारी किया जा चुका है।
5	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/एकल पट्टों से पुर्नगठित	पर्यटन ईकाई के तहत् रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा
6	परियोजना–समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/फ्लैट्स/स्टूडियों अपार्टमेन्ट/व्यावसायिक/होटल/मिश्रित उपयोग/वेयर हाउस/रिसोर्ट/मोटल/पर्यटन विभाग मे पंजीकृत हैं तो।	रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।
7	आवेदक का नाम	सुपर फूड अधिकृत पार्टनर श्री विकास अग्रवाल
8	स्वामित्व रिपोर्ट	विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार ग्राम आमेर, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 10046/3121, 10047/3121, 10048/3121, 10049/3122, 10050/3122, 10051/3122, 10052/3122, 3123, 3124, 3126, 312, कुल क्षेत्रफल 21220.81 व. मी. का पर्यटन ईकाई के तहत् रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिनांक 30.11.2011 को जारी किया गया है। जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ सुपर फूड अधिकृत पार्टनर श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री मनोज अग्रवाल को दिनांक 10.09.2025 को जारी किया जा चुका है।
9	लेखा रिपोर्ट	जोन की ऑनलाईन रिपोर्ट अनुसार प्रकरण मे प्रार्थी को फ्री होल्ड पटटा दिनांक 10.09.25 को जारी किया जा चुका है। प्रकरण मे कोई बकाया राशि नही है।
10	निर्माण अवधि की दिनांक	प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई हैं। अतः भवन निर्माण अवधि 3 वर्ष अर्थात दिनांक 09.09.2028 तक देय होगी।
11	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री ध्रुव गुप्ता, सी.ए./2002/28813

भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2025 अनुसारः–

• नाहरगढ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं	मास्टर प्लान से प्राप्त भू उपयोग रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि नाहरगढ़ अभयारण्य बाउण्ड्री (आंशिक) नाहरगढ ईको सेसटिव जोन में दर्शित नहीं है।
• आर्मी कन्टोनमेन्ट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं	नहीं
• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं	सी.सी.जेड.एम.–2023 के अनुसार 107.83 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है। अतः एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक नहीं है।

12	तकनीकी विश्लेषण		जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार अनुसार	भवन विनियम 2025 अनुसार	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावानुसार	नियमानुसार हैं अथवा नहीं
	1.	सैटबैक				

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

	सामने–I (30 Mtr.)	30.00 मी.	9.00 मी.	30.00 मी.	नियमानुसार है। (भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4.2 के अनुसार)
	पार्श्व–I	15.00 मी.	9.00 मी.	9.00 मी.	
	पार्श्व–II	15.00 मी.	9.00 मी.	9.00 मी.	
	पीछे	15.00 मी.	9.00 मी.	9.00 मी.	
2.	अधिकतम आच्छादन	20 प्रतिशत (4244.16 व.मी.)		19.92 प्रतिशत (3197.10 व.मी.)	नियमानुसार है।
3.	अधिकतम ऊँचाई	15 मी. (भवन विनियम अनुसार) सी.सी.जेड.एम.–2023 के अनुसार 107.83 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है।		**गुख्य ब्लॉक** 0.60 मी. (प्लिन्थ) + 15 मी. (भूतल + प्रथम +3 तल)+4.525 मी. (मशीन रूम/ममटी/वाटर टैंक) कुल 20.125 मी. **विला ब्लॉक** 0.60 मी. (प्लिन्थ) + 9.90 मी. (भूतल + प्रथम + द्वितीय तल) + 7.75 मी. (मशीन रूम/ममटी/वाटर टैंक) कुल 18.25 मी	0.60 मी. (प्लिन्थ) एवं 7.75 मी. (मशीन रूम/ममटी/वाटर टैंक) को छोड़कर कुल ऊँचाई 15 मी. है, जो कि 60 मीटर से कम है। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
4.	कुल तलों की संख्या	–		**गुख्य ब्लॉक** (बेसमेन्ट+ भूतल + प्रथम + 3 तल) **विला ब्लॉक** (भूतल + प्रथम + द्वितीय तल)	–
5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	–		14,228.00 व.मी.	–
6.	बी. ए. आर.	मानक बीएआर 6366.24 (0.20 एफएआर X 1.50 व.मी.) (भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4.2 के अनुसार)		0.59 (12582.32 व.मी.)	मानक बीएआर से अतिरिक्त प्रस्तावित बीएआर अधिक प्रस्तावित 6216.08 व.मी. पर नियमानुसार बी.ए.आर. पर बेटरमेन्ट लेवी लेय है।
7.	पार्किंग	194.22 ईसीयू 145.67 कार + 145.67 स्कूटर		196 ईसीयू 147 कार + 147 स्कूटर	नियमानुसार है।
8	ग्रीन एरिया	15% (3183.12 व.मी.)		3305.60 व.मी. (15.57%)	नियमानुसार है।
9	व्यावसायिक (रिटेल)	लागू नहीं है।		लागू नहीं है।	–
10.	सार्वजनिक सुविधायें	लागू नहीं है।		लागू नहीं है।	–
11.	5.4.(iii):–क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी)	24 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु		लागू नही है।	–
12.	5.4(x):– 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्र	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय प्रस्तुत किया जाना है।		लागू नही है।	–
13.	5.4(xii):–भवन में अपेक्षित	पूर्णता प्रमाण पत्र के समय		विकासकर्ता से	स्वीकृति पत्र में

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

		सेवाओ हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	प्रस्तुत किया जाना हैं।	शपथ पत्र लेय है।	उल्लेख किया जाना हैं।
	14.	60 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	लागू नहीं है।	लागू नही है।	नियमानुसार हैं।
	15.	8.3(i):—वर्षा जल संग्रहण का चिन्हिकरण	आवश्यक है।	मानचित्रों में चिन्हित है।	नियमानुसार हैं।
	16.	7.5—अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	2500 व.मी. से अधिक भूखण्ड के क्षेत्रफल हेतु शपथ पत्र	STP प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	17.	7.6:—सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल हेतु शपथ पत्र		
	18.	8.2:—पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक है।	लागू है।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जावेगा।
	19.	8.5.0(ii) सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित किया जाना होगा।	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	20.	6.14(xxi):—आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	21.	6.14(xxvii) के अनुसार पार्किंग के प्रावधानो की पालना	आवश्यक है।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/ अण्डरटेकिंग लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	22.	6.14(xxii):—पार्किंग सर्कुलेशन प्लान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	—
	23.	6.14(v):—E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10%	शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।	—
	24.	9:—विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प / शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक है।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	25.	15(v):—Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण—पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना हैं।	लागू नही है।	—
	26.	बीपीसी—बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार तडित चालक का प्रावधान	शपथ पत्र आवश्यक है।	लागू नही है।	—
	27.	बीपीसी—बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार संशोधन /विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियों की सहमति	कुल आवंटियों में से दो तिहाई (2/3rd) आवंटियों की सहमति	लागू नहीं है।	—
	28.	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 24.06.2020 के अनुसार लेबर सेस	लागू है।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/डी.डी. लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	29	रेरा में पंजीकरण	लागू है।	लागू है।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाना प्रस्तावित है।
	30	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/फ्लैट्स की संख्या	लागू नहीं है।	लागू नही है।	—
	31	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासो का प्रस्ताव अथवा 100/—	लागू नहीं है।	लागू नही है।	—

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

		प्रति वर्ग मी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं।			
	32	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति	लागू नहीं है।	लेय नहीं हैं।	—
	33	अग्निशमन शुल्क	लागू हैं।	लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	34	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु क्षेत्रफल	लागू नहीं है।	लागू नही है।	—
	35	सौर ऊर्जा का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	36	भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या–4.15 (V) के अनुसार 10,000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भवनों (फार्म हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यूनतम सिल्वर रेटिंग सर्टिफिकेट	लागू है।	लागू है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।

13 **मौका रिपोर्टः–** भूखण्ड की नापे जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उपलब्ध है मौके पर भूखण्ड की बाउंड्रीवाल निर्मित है भूखण्ड के साईड सैटबैक में अस्थाई टीन शेड निर्मित है एवं शेष भूखण्ड रिक्त है भूखण्ड प्रस्तावित 30 मीटर सड़क पर स्थित है जिसका ROW भूखण्ड के सामने 19.50 मीटर चौड़ाई में उपलब्ध है सी.सी.जेड.एम–2023 के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 107.83 मीटर है।

14 **प्रकरण के तथ्यः–** विकासकर्ता द्वारा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ दिनांक 05.10.2025 को BPAS सॉफ्टवेयर पर भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया।

15. **प्रस्तावः–**विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित की जानी होगीः–

1. प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 10.09.2025 को जारी की गई हैं। अतः भवन निर्माण अवधि 3 वर्ष अर्थात दिनांक 09.09.2028 तक देय होगी।
2. भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी।
3. भूखण्डधारी द्वारा भूखण्ड के सैटबैक में अस्थाई टीन शेड निर्मित है, जिसे हटायें जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।
4. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
5. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेंगा।
6. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बी.ए.आर 0.59 (12582.32 व.मी.) प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम 2025 के अनुसार मानक बी.ए.आर 0.20 एफएआर X 1.50(6366.24 व.मी) अनुज्ञेय है।अतः प्रस्तावित अतिरिक्त बी.ए.आर 6216.08 व.मी. पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी लेय होगी।
7. पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2025 अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जानी होगी।
8. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित हैं।

9. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 6.14(v) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।

10. भवन में RPWD Act. 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।

11. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 7.7 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।

12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान विकासकर्ता के व्यय पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है।

13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखें जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है।

14. भवन विनियम–2025 के प्रावधान संख्या 7.6 के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सुचारू रूप से संचालन की सुनिश्चिता, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पूर्व की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

15. प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुसार प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर से अधिक प्रस्तावित किया गया हैं। अतः अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने से 3 माह की अवधि में Consent to operate प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। अतः उक्त आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

16. प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुसार प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल 2,500 वर्गमीटर से अधिक प्रस्तावित किया गया हैं। अतः पूर्णता प्रमाण पत्र के समय Consent to Establish प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। अतः उक्त आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

17. पूर्णता प्रमाण पत्र के समय श्रम विभाग से लेबर सेस जमा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं। अतः उक्त आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

18. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या–4.5.4 के अनुसार "रिसोर्ट में यदि कमरों/कोटेज/विला का बेचान किया जाना प्रस्तावित हो तो न्यूनतम 25 प्रतिशत विक्रय योग्य क्षेत्र (मय कॉमन फैसिलिटी) का स्वामित्व विकासकर्ता/भू–स्वामी को रखा जाना होगा एवं शेष निर्मित कमरों/कोटेज/विला का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा किया जा सकेगा। परन्तु कोटेज/विला का पृथक–पृथक भूखण्ड के रूप में बेचान नहीं किया जा सकेगा, क्रेता द्वारा क्रय किये गये कमरों/कोटेज/विला की संरचना में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जावेगा,

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19116462

	विकासकर्ता द्वारा कमरों/कोटेज/विला का बेचान इसी शर्त पर किया जावेगा कि रिसोर्ट स्कीम में समस्त विकास/निर्माण कार्य एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता/भू–स्वामी की होगी, रिसोर्ट में कमरों/कोटेज/विला आदि का बेचान हेतु प्रचार–प्रसार एवं बेचान करने से पूर्व रेरा नियम–2017 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।'' अतः उक्त आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
	19. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या–4.15 (V) के अनुसार ''10,000 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भवनों (फार्म हाउस एवं स्वतंत्र आवास को छोड़कर) में न्यूनतम सिल्वर रेटिंग सर्टिफिकेट उक्त भवन विनियम में वर्णित संस्था से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।'' अतः उक्त आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
	20. नियमानुसार अन्य शुल्क लेय होगें।

निर्णयः– *समिति द्वारा प्रकरण में भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो की सुनिश्चितता करने के पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।*

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

4. <u>एजेण्डा नम्बर 334.4 (25.11.2025):—</u>(जोन—11)

विषयः— खसरा नम्बर 785, 790, 791, ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय स्टूडियों अपार्टमेन्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आवेदक का नामः— श्री किशोर आहूजा, निदेशक, ग्रीन लीफ टाउनशिप प्रा.लि.,

प्रकरण के तथ्यः—

1. पूर्व में दिनांक 22.07.2014 को आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये थे। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार स्टूडियों अपार्टमेन्ट प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु BPAS Software पर दिनांक 03.05.2025 को आवेदन किया गया।
2. प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 329वीं बैठक दिनांक 12.08.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—
   "समिति द्वारा प्रकरण में भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा यह तथ्य नोट किया गया कि प्रकरण में पूर्व में दिनांक 22.07.2014 को जारी मानचित्रों को निरस्त किया जावें एवं तदानुसार पूर्व में जमा राशि को समायोजित करते हुए एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो तथा मॉडल भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4(9) (प) के तहत नियमानुसार शुल्क लिये जाने की सुनिश्चितता करने के पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।"
3. विकासकर्ता द्वारा दिनांक 18.08.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत मानचित्रों में स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई 3.60 मीटर तथा स्टिल्ट फ्लोर के ऊपर समस्त मंजिलों की कुल ऊंचाई 40.20 मीटर प्रस्तावित की गयी थी। वर्तमान में हमारे द्वारा स्टिल्ट फ्लोर की ऊंचाई 4.50 मीटर चाही गयी है, इस प्रयोजनार्थ कुल अनुज्ञेय ऊंचाई (40.20 मीटर) में स्टिल्ट फ्लोर की अतिरिक्त ऊंचाई सम्मिलित करते हुए ऊपरी मंजिलों की प्रति मंजिल ऊंचाई में कमी करते हुए कुल ऊंचाई पूर्ववत 40.20 मीटर के अनुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये जा रहे है।
4. प्रकरण बीपीसी—बीपी की 330वीं बैठक दिनांक 23.09.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न निर्णय लिये गये:—
   1. *प्रकरण में पूर्व जमा राशि का समायोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।*
   2. *प्रकरण में पूर्व अनुमोदित भवन मानचित्रों की वैध अवधि पश्चात संशोधन के क्रम में नियमानुसार शुल्क एवं पुनः जॉच शुल्क लिया जावें।*

   एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो तथा मॉडल भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4(9) (i) के तहत नियमानुसार शुल्क लिये जाने की सुनिश्चितता करने के पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4 (9) निम्नानुसार उल्लेख है:— "इन भवन विनियमों के जारी होने से पूर्व स्थानीय निकायों में आवेदित भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण पूर्व नियमों के प्रावधानों के अनुसार अथवा

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

आवेदक द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करने पर इन विनियमों के अंतर्गत निस्तारित किये जा सकेगे। लेकिन जिन प्रकरणों में नगरीय निकाय द्वारा मांग पत्र जारी नहीं किया गया है उन प्रकरणों में इन विनियमों के तहत समस्त शुल्क लेय होगें।''अतः प्रकरण में आवेदन दिनांक 03.05.2025 जो कि भवन विनियम 2025 के जारी होने से पूर्व (दिनांक 12.05.2025 से पूर्व) होने के क्रम में प्रकरण में समस्त तकनीकी गणना भवन विनियम 2020 के अनुसार की गई है एवं भवन विनियम 2025 के अनुसार मांग राशि जमा करवाई गई है।

6. प्रकरण के कार्यवाही विवरण में सहवन से कुछ स्थानों पर भवन विनियम 2025 का अंकन हो गया था। प्रकरण में आवेदक द्वारा भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये है। अतः प्रकरण के कार्यवाही विवरण में भवन विनियम 2025 के स्थान पर भवन विनियम 2020 पढा जाने को मान्य किये जाने के क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णयः—*समिति द्वारा प्रकरण में एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण के संबंध में बीपीसी—बीपी की पूर्व बैठक दिनांक 23.09.2025 के जारी कार्यवाही विवरण में प्रकरण में तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम 2025 के स्थान पर भवन विनियम 2020 के अनुसार मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।*

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19116462

5 एजेण्डा नम्बर 334.5 (24.11.2025):—(जोन—11)

विषयः— खसरा नम्बर 204/1, 204/2, 292/205, ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

आवेदक का नामः— श्री संजय गोदिका।

प्रकरण के तथ्यः—

1. प्रकरण में भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 327वीं बैठक दिनांक 15.07.2025 को बैठक में समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये—
   1. प्रस्तावित भवन मानचित्रों में विधार्थियों हेतु पृथक से लिफ्ट का भी प्रावधान करवाते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्राप्त किये जावें। उक्त संशोधित भवन मानचित्रों का अनुमोदन निदेशक (आयोजना) से करवाया जावें।
   2. एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 15 के प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो एवं मॉडल भवन विनियम 2025 के प्रावधान संख्या 3.4(9) (i) के क्रम में मॉडल भवन विनियम 2025 के तहत नियमानुसार शुल्क लिये जाने की सुनिश्चितता किये जाने के पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जावें।
2. उपरोक्त कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 15 में प्रस्तुत प्रस्ताव में उल्लेखित शर्तो के बिंदु संख्या 03 अनुसार भूखण्ड के साईड सैटबैक में स्थित निर्माण को हटायें जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. बीपीसी—बीपी के उक्त निर्णय के के क्रम में विकासकर्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि "निवेदन है कि आपके पत्र दिनांक 10.10.2025 को आपको द्वारा भूखण्ड के साईड बैक में 3 कमरे का निर्माण किये हुये को हटाने के लिये सूचित किया गया था। आप से निवेदन है कि साईट सेट बेक में बने निर्माण में निर्माण कार्य करने के लिये मंगाई जाने वाली सीमेन्ट को वर्षा में भीगने से बचाने के लिये कार्य लिया जायेगा। निर्माण पूर्ण होने पर सेट बेक में बने निर्माण को हमारे द्वारा हटा लिया जायेगा। जब तक हमारे द्वारा निर्माण नही हटाया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा हमारे वाटर हारवेस्टींग के जमा 6 लाख एवं कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी नही किया जाये। उक्त सम्बन्ध में हमारे द्वारा प्राधिकरण का शपथ पत्र प्रद्भुति कर दिया जायेगा अतः आप से निवेदन है कि हमारे संस्थानिक भूखण्ड के मानचित्र जारी करने की कृपा करें।।"
4. तत्पश्चात भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 332वीं बैठक दिनांक 28.10.2025 में भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्राप्त होने वाले ऐसे प्रकरण जिनमें की भूखण्ड पर पूर्व के निर्माण स्थित है, के संबंध में निम्न नीतिगत निर्णय लिया गयाः— "भूखण्ड पर भवन मानचित्र स्वीकृति से पूर्व निर्माण

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19116462

स्थित है तथा उक्त मौके पर स्थित निर्माण प्रस्तावित भवन मानचित्रों में प्रस्तावित भवन/अन्य प्रस्तावित संरचना के स्थान पर स्थित है अथवा ऐसा अस्थाई निर्माण हो कि भूखण्ड पर निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों व अन्य स्टाफ के रहवास हेतु तथा निर्माण सामग्री के भण्डारण हेतु निर्मित है, को अस्थाई तौर पर अनुमत करते हुए भवन मानचित्र जारी किये जावें एवं विकासकर्ता से ऐसे निर्माण को पूर्णता प्रमाण पत्र से पहले हटाये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जावें। ऐसा पूर्व निर्मित निर्माण जो कि प्रस्तावित भवन/अन्य प्रस्तावित संरचना के भाग पर नहीं है एवं ना ही उपरोक्तानुसार वर्णित गतिविधियों के लिए प्रस्तावित है तो ऐसे समस्त निर्माण को हटाये जाने की सुनिश्चितता के उपरान्त ही प्रकरणों में भवन मानचित्र जारी किये जावें।"

प्रस्तावः– प्रकरण में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के क्रम में मौके स्थित निर्माण को अस्थाई रूप से अनुमत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– *समिति द्वारा प्रकरण में एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सेटबैक क्षेत्र में स्थित निर्माण के क्रम में बीपीसी–बीपी द्वारा पूर्व में लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में विस्तृत मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।*

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2025/डी–2117 दिनांक 02/12/2025

प्रतिलिपी : निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (समस्त), जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त, जोन ....जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें एवं नीतिगत निर्णयानुसार ऑनलाईन सिस्टम विकसित किया जावें।
8. निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19116462

परिशिष्ठ–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 334वीं बैठक दिनांक 25.11.2025 को सांय 5.30 बजे आयुक्त महोदया, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अध्यक्षता में मंथन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1. श्रीमती आनन्दी, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2. डॉ. निशान्त जैन, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3. श्री रवि राय वर्मा, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
4. श्री अंकुर दाधीच, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री अजय गोयल, उप नगर नियोजक, जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री विजय मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नितिन मीणा, सहायक नगर नियोजक, जोन–04 व 08, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मुकेश सैनी, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.12.02 08:43:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19116462